छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
-मंत्रालय-
महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर

//विज्ञापन//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०५/04/2025

कमांक ३५५/**ESTB-2035/14/2025-REVENUE**/सात-4:- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2015, दिनांक 28 जनवरी 2016 द्वारा गठित राज्य स्तरीय ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण'' हेतु स्वीकृत ''पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा से)'' के रिक्त 01 पद को भरने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों से संपूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र निम्नांकित पते पर प्राप्त होना चाहिएः-

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, (कक्ष क्रमांक एम-1-23) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर **दिनांक 30/04/2025** तक (फैक्स नं. 0771-2510160), अथवा राजस्व विभाग के ई-मेल पते- **revenue.cg@nic.in**) प्राप्त हो, पर विचार किया जायेगा।

1. नियुक्ति के लिए अर्हताएं - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 53 के अनुसार अर्हताएं निर्धारित होंगी।

2. नियुक्ति हेतु चयन की रीति- पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जायेगी।

3. पीठासीन अधिकारी की पदावधि- राज्य स्तरीय गठित प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करेगा, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा।

4. पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें - अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वही होंगी, जो विहित की जाएं।

5. रिक्तयों का भरा जाना- प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो उस रिक्ति को भरने के लिए,

Scanned with CamScanner

उपरोक्त खण्ड 2, 3 एवं 4 में विहित मापदण्ड अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी।

6. सेवा से त्याग पत्र और हटाया जाना-
(1) प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, राज्य शासन को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा,

परन्तु पीठासीन अधिकारी, जब तक उसे शीघ्र अपना पद त्यागने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारिख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करता रहेगा ।

(2) पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में ऐसी जांच किए जाने के पश्चात जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरूद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्ति - युक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य शासन द्वारा किये गये आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जायेगा ।

7. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की शक्तियों और उसके समक्ष कार्यवाही- राज्य स्तरीय प्राधिकरण को, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय मे निहित है ।

Signed by
Anvesh Ghritlahre
Date: 03-04-2025 16:19:59
(अन्वेष घृतलहरे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. 345 /**ESTB-2035/14/2025-REVENUE**/सात-4 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि,
1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0।
3. रजिस्ट्रार, मान उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
4. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर
5. संचालक, सूचना प्रकोष्ठ मंत्रालय रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
6. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

Scanned with CamScanner

7. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुराना पुलिस मुख्यालय, रायपुर,छ.ग.
9. गार्ड फाईल हेतु ।

Signed by
Trilochan Pawar
Date: 04-04-2025 10:36:21
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with CamScanner